UPAG010065972026

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0–1, आगरा।
उपस्थित : पुष्कर उपाध्याय, एच0जे0एस0
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2834/2026

दुष्यन्त, उम्र करीब 30 वर्ष, पुत्र श्री ब्रिजेन्द्र सिंह राजपूत निवासी–प्रेम चालड़ नर्सिंग होम, प्लेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर (राज.)

——— प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार ——— विपक्षी

मु0अ0सं0–218/2026
धारा–191(2), 115(2), 352, 351(3), 118(1), 109(1) बी.एन.एस.
थाना–एकता, जिला आगरा

दिनांक 04.07.2026

1– प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **दुष्यन्त** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–218/2026 अन्तर्गत धारा 191(2), 115(2), 352, 351(3), 118(1), 109(1) बी.एन.एस., थाना एकता, जिला आगरा के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त के पैरोकार श्री ब्रिजेन्द्र सिंह राजपूत के शपथ पत्र से समर्थित है जिसमें यह वर्णित है कि अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नही है।

3– अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा राजकुमार द्वारा थानाध्यक्ष, थाना एकता, आगरा पर इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि मैं राजकुमार पुत्र मुन्नीलाल बुलन्द सिटी फतेहाबाद रोड आगरा का निवासी हूँ। मेरे द्वारा बुलन्द सिटी सुसाइटी मे विपक्षी रविन्द राजपूत पुत्र विजेन्द सिंह निवासी जारौली जिला धौलपुर (राज०) को फ्लैट दिलवाया था। पार्किंग को लेकर रविन्द्र राजपुत राजपूत पुत्र विजेन्द्र सिंह, महावीर पुत्र विजय लाइनमैन व जवाहर पुत्र ईश्वरी, निवासी– कलाल खेरिया के निवासी है। इनके द्वारा मुझे फोन पर गाली गलौज दो देते हुये धमकी दी तथा अपने साथी बुलाने का चौलेन्ज करके गये, इसके बाद शाम के करीब 5.00 पी.एम. पर 8–10 लोगो को लेकर स्कार्पिओ एन गाडी न0 आरजे11यूए5672 सफेद कलर में आकर गार्डो के साथ मारपीट की गयी तथा अचानक से मेरे और मेरे भाई धर्मेन्द्र पुत्र मुन्नीलाल कलाल खेरया, सुभाष चन्द्र पुत्र सुखमान सिंह, वुलन्द सिटी आगरा को लाठी एव धारदार हथियार

(कुल्हाड़ी) के साथ हमला किया गया तथा मुझे बाद मे देखलेंगे तथा मुझे जान से मार देगे धमकी देकर वहा से भाग निकले।

4– उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना एकता पर अभियुक्तगण रविन्द्र राजपूत, महावीर, जवाहर व 8–10 व्यक्ति अन्य नाम पता अज्ञात के विरूद्ध मु0अ0सं0 218/2026 धारा 191(2), 115(2), 352, 351(3), 118(1) बी.एन.एस. के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना धारा 109(1) बी.एन.एस. की बढोत्तरी की गयी।

5– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नही किया है, उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। वह पूर्णतः निर्दोष हैं। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त नामजद नहीं हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त का कोई रोल नहीं दर्शाया गया है तथा संयुक्त रूप से नामित अभियुक्त के साथ–साथ सह अभियुक्त महावीर व जवाहर द्वारा फोन पर गाली गलौज व धमकी देना दर्शाया है। वादी द्वारा अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह नहीं दर्शाया गया है कि किसके द्वारा किस हथियार से धर्मेन्द्र व सुभाष चन्द के ऊपर हमला किया गया है तथा चोटें पहुंचाई गयी हैं और ना ही किसके द्वारा जान से मारने की धमकी दी गयी यह भी नहीं दर्शाया है। वादी द्वारा अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में जान से मारने की नीयत से कोई भी कृत्य करना अभियुक्त द्वारा नहीं दर्शाया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त रविन्द्र सिंह के साथ–साथ 8–10 लोगों के द्वारा गार्ड व वादी के भाई धर्मेन्द्र तथा सुभाष चन्द के ऊपर लाठी एवं धारदार हथियार से चोट आना दर्शाया गया है जबकि धारदार हथियार की कोई भी चोट नहीं दर्शायी गयी है। चुटैल के ऊपर आई हुई चोटें साधारण प्रकृति की हैं कोई भी चोट गम्भीर प्रकृति की नहीं है। सत्यता यह है कि अभियुक्त रविन्द्र द्वारा अपनी गाड़ी खड़ी करने पर वादी व उसके साथियों द्वारा उसके साथ मारपीट की गयी तथा उसकी गाड़ी में तोड़फोड़ कर क्षति पहुंचाई तथा थाना पुलिस से मिलकर अभियुक्त रविन्द्र व अन्य के विरुद्ध उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करा दी है तथा अभियुक्त का उक्त मुकदमें में कोई नाम अंकित नहीं कराया है जबकि वादी अभियुक्त को भली–भाँति जानता है। वादी द्वारा थाना पुलिस से मिलकर अभियुक्त को उक्त मुकदमें में झूठा संलिप्त कर दिया है। सह अभियुक्त महावीर व जवाहर को थाना पुलिस द्वारा घटना स्थल से गिरफ्तार किया था तथा उनका शांति भंग होने में चालान किया। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नही है। अभियुक्त दिनांक 10.06.2026 से जिला कारागार आगरा में निरूद्ध है। उपरोक्त आधारों पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी है।

6– अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी व वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वादी मुकदमा राजकुमार का प्रतिशपथपत्र दाखिल कर जमानत का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

7– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी व वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा केस डायरी

व उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया गया।

8– अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर विधि विरूद्ध जमाव गठित कर घातक आयुधों से सज्जित होकर वादी राजकुमार तथा उसके उसके भाई धर्मेन्द्र व सुभाष चन्द्र को लाठी एवं धारदार हथियार कुल्हाड़ी से मारपीट करने, गलौज करने, जान से मारने की धमकी देने का अभियोग है। वादी राजकुमार द्वारा विवेचक को दिये गये बयान में प्राथमिकी में वर्णित तथ्यों का समर्थन किया गया है। केस डायरी में संलग्न चोटहिल राजकुमार की आघात आख्या दिनांकित 15.05.2026 को समय 08.10 पी.एम. के अनुसार उसके शरीर पर कुल तीन चोटें पाई गयीं, जो साधारण प्रकृति की पाते हुए चोट संख्या–1 एवं 2 को निगरानी में रखा गया। चोटहिल धर्मेन्द्र की आघात आख्या दिनांकित 15.05.2026 को समय 08.00 पी.एम. के अनुसार उसके शरीर पर कुल सात चोटें पायीं गयीं जिसमें चोट नं01 सिर के बांयी ओर कान के किनारे से 4 X 0.5 से.मी. फटा हुआ घाव खाल तक गहरा जिसके चारों ओर 8 X 6 से.मी. क्षेत्र तक सूजन व ताजा थक्का मौजूद था, के सम्बन्ध में सी.टी. स्केन का परामर्श दिया गया, चोट नं02 उसके सिर के पिछले हिस्से में बांये कान से 10 से.मी. की दूरी पर 3 X 2.5 से.मी. के क्षेत्र में सूजन, चोट नं03 बांये हाथ की तर्जनी उंगली में 2.5 X 0.5 से.मी. का कटा हुआ घाव व अन्य चोटों में कान के पिछले हिस्से, बांये हाथ की तर्जनी व मध्य उंगली में चोट व दर्द के रूप में थीं। केस डायरी के पर्चा संख्या–4 में डॉ0 देवेन्द्र गुप्ता द्वारा चोटहिल सुभाष चन्द्र की स्थिति को गम्भीर बताकर बयान न लिये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया तथा चोटहिल की पूरक परीक्षण रिपोर्ट तैयार किया जाना कहा गया है। केस डायरी पर उपलब्ध चोटहिल सुभाष चन्द्र की पूरक परीक्षण रिपोर्ट व सी. टी. स्केन रिपोर्ट के अनुसार उसके सिर में राईट फंटोटेम्पोरल लोब मय राईट फण्टल टेम्पोरल स्पनोयड एवं जायगोमेटिक फेक्चर पाया गया जिसे प्राणघातक व गम्भीर प्रकृति की चोट होना अंकित किया गया है तथा चोटहिल सुभाष चन्द्र दिनांक 15.05.2026 से 22.05. 2026 तक अस्पताल में भर्ती रहा है तथा उसे अन्य हॉस्पीटल में स्थानान्तरित किया गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि सुभाषचंद आज भी कोमा में हैं तथा उनका इलाज नोएडा के हॉस्पीटल में चल रहा है। केस डायरी के पर्चा संख्या 5 में विवेचक द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त दुष्यंत के मोबाइल नं0 8290525031 की सीडीआर/कैप के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त की लोकेशन घटना दिनांक 15.05.2026 समय 17.00 बजे से रात्रि के 20. 00 तक घटना स्थल के आसपास के स्थान पर पायी गयी है तथा केस डायरी के पर्चा संख्या 9 में विवेचक द्वारा सी.सी.टी.वी. फुटेज के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का घटना में संलिप्त होना पाया गया है। इस प्रकार केस डायरी में प्रथम दृष्टया प्रार्थी/अभियुक्त के घटना में सम्मिलित होने के पर्याप्त साक्ष्य पाये गये हैं। केस डायरी के पर्चा संख्या–2 में स्वतंत्र साक्षी राममूर्ति शर्मा व रूप किशोर ने भी प्राथमिकी के तथ्यों का समर्थन किया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सह अभियक्तगण के साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में घ ातक आयुधों से वादी पक्ष के साथ मारपीट कर गंभीर प्रकृति की चोटें पहुंचाने का कारित

किया गया अपराध गम्भीर प्रकृति का है। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है तथा साक्ष्य संकलित किया जाना शेष है।

9– अतः प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति तथा गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने हेतु पर्याप्त आधार नहीं है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **दुष्यन्त** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र सं0 2834/2026, मुकदमा अपराध संख्या–218/2026 अन्तर्गत धारा 191(2), 115(2), 352, 351(3), 118(1), 109(1) बी.एन.एस., थाना एकता, जिला आगरा के मामले में, निरस्त किया जाता है।

दिनांक 04.07.2026

(पुष्कर उपाध्याय)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0–1,
आगरा।
आई0डी0 नं0–यूपी–6086

Digitally signed by PUSHKAR UPADHYAY
Date: 2026.07.04 17:54:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court